

वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में

पंजीकरण और अन्य विवरण:

- i) सीआईएन: U73100DL2012NPL233152
- ii) पंजीयन की तिथि: मार्च 20, 2012
- iii) कंपनी का नाम: जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
- iv) कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी: धारा 8 के तहत अंशों द्वारा सीमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (सरकारी कंपनी)
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण:
पहली मंजिल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110 003.
वेबसाइट: www.birac.nic.in ई-मेल: birac.dbt@nic.in टेली.: +91-11-24389600
- vi) सूचीबद्ध कंपनी है हाँ / नहीं: नहीं
- vii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो:
स्कार्फलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, D-153 A, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-I, नई दिल्ली-110020
संपर्क सूत्र: श्री वीरेंद्र राणा

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा: –

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग (एनएसई) पर अनुसंधान और प्रायोगिक विकास	72100	100%

III. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण –

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	स्वामित्व/ सहायक/ सहयोगी	धारित अंशों का %	लागू खंड
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. अंश धारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी अंश पूँजी ब्रेकअप)



I) श्रेणीवार अंश-धारिता

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित अंशों की संख्या				वर्ष की अंत में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
क. संवर्धक									
(1) भारतीय									
I) व्यक्तिगत / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) केन्द्र सरकार	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	शून्य
iii) राज्य सरकार (₹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) बैंक / वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क) (1):-	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	शून्य
(2) विदेश									
क) एनआरआई—व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य—व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंकस / वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) अन्य कोई....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवर्धकों की कुल अंश धारिता (क) = (क) (1)+(क)(2)	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	शून्य
ख) सार्वजनिक अंशधारिता									
1. संस्थान									
क) स्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) उद्यम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआईएस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर—संस्थान									
क) निगमित निकाय									
I) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत									

I) न्यूनतम रु. 1 लाख की अंशपूँजी वाले व्यक्तिगत धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) न्यूनतम रु. 1 लाख से अधिक की अंशपूँजी वाले व्यक्तिगत धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक अंशधारिता (ख) = (ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित अंश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	शून्य

(ii) संवर्धकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति	9000	90%	शून्य	9000	90%	शून्य	शून्य
2	डॉ. रेणु स्वरूप, सचिव, डीबीटी और अध्यक्ष, बाईरैक (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)	900	9%	शून्य	900	9%	शून्य	शून्य
3	डॉ. मो. असलम, एमडी, बाईरैक (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)	100	1%	शून्य	100	1%	शून्य	शून्य
	कुल	10000	100%	शून्य	10000	100%	शून्य	शून्य

(iii) संवर्धकों की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो कृपया निर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
	वर्ष की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीख वार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / हस्तांतरण / बोनस / उद्यम इविवटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करना आदि।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(iv) शीर्ष 10 अंशधारकों की शेयरधारिता का तरीका (निदेशकों, संवर्धकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा):

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
	वर्ष की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीख वार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी (जैसे आबंटन / हस्तांतरण / बोनस / उद्यम इकिवटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करना आदि।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी

(क) डॉ. रेणु स्वरूप, अध्यक्ष (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
	वर्ष की शुरुआत में	900	9	900	9
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करें (उदा. आबंटन / हस्तांतरण / बोनस / उद्यम इकिवटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	900	9	900	9

(ख) डॉ. मो. असलम, प्रबंध निदेशक (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
	वर्ष की शुरुआत में	100	1	100	1
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करें (उदा. आबंटन / हस्तांतरण / बोनस / उद्यम इकिवटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	100	1	100	1

V. ऋणग्रस्तता:

कंपनी की ऋणग्रस्तता, बकाया / अर्जित किंतु अदेय ब्याज सहित

	जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) मूलधन				
ii) बकाया किंतु अप्रदत्त ब्याज				
iii) अर्जित किंतु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
• वृद्धि				
• कमी				
निकल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) मूलधन				
ii) बकाया किंतु अप्रदत्त ब्याज				
iii) अर्जित किंतु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण—कालिक निदेशकों औरध्या प्रबंधकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		डॉ. मो. असलम, प्रबंध निदेशक	-- -- --
1. (क)	सकल वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं क्योंकि वे बाईरैक के प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।	- - -
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियां		
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ		
2.	स्टाक विकल्प	- - - - -	- - - - -
3.	उद्यम विकल्प	- - - - -	- - - - -
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें...	- - - - -	- - - - -
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	- - - - -	- - - - -
	कुल (क)	- - - - -	- - - - -
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	- - - - -	- - - - -



ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
		प्रो. अशोक झुनझुनवाला	प्रो. पंकज चन्द्रा	प्रो. अखिलेश त्यागी	श्री नरेश दयाल	
1.	स्वतंत्र निदेशक <ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड समिति के बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क (4 बैठकें) • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें <ul style="list-style-type: none"> • लेखा परीक्षा समिति (4 बैठकें) 	40,000	40,000	30,000	30,000	1,40,000
	कुल (1)	80,000	80,000	60,000	30,000	2,50,000
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक <ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड समिति के बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें 	डॉ. रेणु स्वरूप				
		शून्य	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-
	कुल (ख) = (1 + 2)	80,000	80,000	60,000	30,000	2,50,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	80,000	80,000	60,000	30,000	2,50,000
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलाव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक एक सरकारी कंपनी होने के कारण बाईरैक को इस प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी				कुल
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ		
1.	सकल वेतन <ul style="list-style-type: none"> (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलक्षियां (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ 	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3.	उद्यम विकल्प	-	-	-	-	-
4.	कमीशन <ul style="list-style-type: none"> - लाभ के % के रूप में - अन्य निर्दिष्ट करें 	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-

VII. अर्थदंड / दंड / संयोजित

प्रकार	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित अर्थदंड / दंड / शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण आरडी / (एनसीएलटी) / न्यायालय)	अपील, यदि कोई की गई हो (विवरण दें)
क. कंपनी				
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक				
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य दंड के पात्र अधिकारी				
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य